[भारत के असाधारण, राजपत्र के भाग -II, खंड 4 में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
(सैन्य कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 08 सितम्बर, 2021

सा.का.नि......(ड.).- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वायुसेना नियम, 2017 के गैर-योद्धी (नामांकित) में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, नामतः –

1. लघु शीर्षक एवं प्रारंभ – (1) इन नियमों को वायुसेना (संशोधन) नियम, 2021 के गैर-योद्धी (नामांकित) कहा जाएगा ।

2. इनको 01 जनवरी, 2016 से लागू माना जाएगा ।

2. वायुसेना नियम, 2017 के गैर-योद्धी (नामांकित) में;-

(i) नियम 9 के उप नियम (2) में "अनन्य" शब्द के स्थान पर "समावेशी" शब्द आएगा ;

(ii) अनुसूची भाग ख के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ;-

रैंकों का स्तरः

क्र.सं.	रैंक	पे मैट्रिक्स में स्तर
(क)	एनसीएस(ई)/एनसीएस(ई) टिंडल/एनसीएस(ई) हेड टिंडल	1 5200-20200 (ग्रेड पे - 1800)

[सं. पीसी-1(16)/2016-रक्षा (वेतन/सेवा)]

(के. नारायणन)
मेजर जनरल
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

व्याख्यात्मक ज्ञापन – सातवां केन्द्रीय वेतन आयोग 01 जनवरी, 2016 से लागू हुआ है । इसी प्रकार, भारत संघ के रक्षा कार्मिक 01 जनवरी, 2016 से लागू सातवें केन्द्रीय वेतन संशोधन हेतु पात्र हैं । तदनुसार, ये नियम 01 जनवरी, 2016 से पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किए गए हैं । अतः एतद्द्वारा, यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव देकर कोई भी कार्मिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा ।

नोटः- मूल नियमों को दिनांक 30 जून, 2017 के सा.का.नि. सं. 16(ई) के तहत भारत के राजपत्र, भाग-II, खंड 4 में प्रकाशित कराया गया है ।